राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2278/2010/जयपुर
मैसर्स सिलवासा प्लास्टिक
डक मोरडी,ग्राम–आमली,सिलवासा अपीलीथी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
उडनदस्ता, उदयपुर प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.10.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 51/23/आरवैट/ एपीपी–।।।/एनआरडी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत अपील में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता,उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा सृजित मांग रू. 1,36,100/–को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकर हैं कि दिनांक 05.11.2007 को वाहन संख्या आरजे–06जीए–1202 को वापी(गुजरात) से पंजाब का परचून माल परिवहनित करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बारापाल, उदयपुर के पास चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने चालान संख्या 768176 दिनांक .0.11.2007 दी अमृतसर ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा.लि. नया बाजार, दिल्ली व सम्बन्धित बिल–बिल्टियॉ कुल बिल्टियॉ 16 कुल नग 273 व कुल वजन 11000 किलोग्राम के प्रस्तुंत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने वाहन में लदे माल से भिन्न माल होने का सन्देह पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (5)(ए) के अन्तर्गत वाहन में लदे माल का भौतिक सत्यापन व प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में दिनांक 08.11.2007 को श्री जोगेन्द्र सिह पुत्र स्व. श्री मानसिंह वाहन चालक/माल प्रभारी उपस्थित हुए तथा वाहन में लदे माल का भौतिक सत्यापन करवाने बाब्त निवेदन किया । लदे माल का भौतिक सत्यापन करवाने पर 200 कटटा प्लास्टिक वैक्स वनज 25 किलोग्राम प्रत्येक कट्टा कुल वजन 5000 किलोग्राम घोषित माल से अधिक लदा हुआ पाया गया, जो कर योग्य था। भौतिक

सत्यापन करने पर केबिल से एक लिफाफा प्राप्त हुआ, जिसमें जी आर संख्या 1173 दिनांक 03.11.2007 मैसर्स राज रोड कैरियर व इनवॉयस संख्या सं 0355 दिनांक 03.11.2007 मैसर्स सिलवासा, ग्राव आमली सिलवासा माल Reprocessed Plastic Was SHFI वनज 5000 किलोग्राम कीमत रू. 3,20,000/–का पाया गया। उक्त माल के दस्तोवजों की राजस्थान में प्रवेश के समय वाणिज्यिक कर जांच चौकरी रतनपुर (डूँगरपुर) पर घोषणा नहीं की गई थी। कर निर्धारण अधिकारी ने इस प्रकार के दस्तावेज पाये जाने पर करापवंचन की दोसी मनोदशा के 200 कट्टा प्लास्टिक वैक्स राजस्थान राजस्थान में ही अनलोक कर राजस्थान का वैट बचाने का प्रयास किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के तहत शास्ति व धारा 76 (13) के अन्तर्गत कर आरोपित करने हेतु दिनांक 15.11.2007 के लिए नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 96,000/– व कर रू. 40,000/– कुल रू. 1,36,000/–की मांग सृजित करते हुए आदेश दिनांक 26.11.2007 पारित किया,जिससे असन्तुष्ट/होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील अस्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग की पुष्टि कर दी। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2010 से क्षुब्ध होकर यह अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने तथ्यों एवं नियमों के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी पर कर व शास्ति का आरोपण किया है। उनका कथन है कि परिवहनित माल राज्य बाहर वापी (गुजरात) से राज्य बाहर पंजाब के लिए परचून माल परिवहनित किया जा रहा था,जो वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित था, जिस पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति एवं कर आरोपण की कार्यवाही की है,जो पूर्णतः अविधिक है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है जो एक निश्चित राशि प्राप्त कर माल का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए करता है। उनका कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों में माल प्रेषक एवं प्रेषिति के पूर्ण नाम एवं पते अंकित थे,जिनकी कोई जांच,किसी भी प्रकार से कर निर्धारण अधिकारी ने नहीं की है। उनका कथन है कि जो दस्तावेज कैबिन की तलाशी में पाये गये थे उनमें भी माल राज्य के बाहर से राज्य बाहर के लिए परिवहनित किया जाना प्रमाणित था, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि उक्त अधिक परिवहनित माल राज्य में उतार कर बेचान किया जायेगा जिससे राजस्थान राज्य को कर (वैट)की हानि होगी, उन्होंने अधिनियम

की धारा 76 (2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति एवं अधिनियम की धारा 76 (13) के अन्तर्गत कर आरोपित कर दिया जो पूर्ण रूप अनुचित एवं अविधिक है, क्योंकि राजस्थान में माल अनलोड किया जाना प्रमाणित नही किया गय है इसलए संभावनाओं के आधार पर कर एवं शास्ति का आरोपित किया जाना अविधिक है। उनका कथन है कि नोटिस के जवाब में परिवहनित माल राज्य के बाहर से बाहर के राज्य जाने के दस्तोवज होने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या अथवा बोगस प्रमाणित किये बिना करापवंचन का दोषी मानते हुए कर व शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः अविधिक है। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कार्यवाही कर मांग सृजित की है,जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक किया कि माल का परिवहन अन्तर्राज्जीय गमनागमन के रूप में राज्य बाहर गुजरात से राज्य बाहर पंजाब के लिए किया जा रहा था, जिसका राजस्थान राज्य से कोई सम्बन्ध नही है और राजस्थान राज्य के अधिकारियों का क्षेत्राधिकारी नहीं बनता है। उन्होंने बताया कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम व पते अंकित थे, जिनकी जांच व प्रेषक एवं प्रेषित का सत्यापन किये बिना ही प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवं बोगस मानते हुए कर व शास्ति आरोपित की है, जो अविधिक है । उन्होंने अपने कथन उक्त के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य बनाम सोढी ट्रांसपोर्ट कम्पनी जयपुर एवं अन्य (10 एस टी टी 218(एस.सी.) तथा राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, झालावाडा बनाम मैसर्स देहली इन्दौर ट्रांसपोर्ट कैरियर, दिल्ली अपील संख्या 1070/2004/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2007 को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर प्रेषक एवं प्रेषिति संदिग्ध प्रतीत होने के कारण माल प्रभारी/वाहन चालक को उनका सत्यापन करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया। उनका कथन है कि नोटिस की पालना में प्रेषक एवं प्रेषिति का सत्यापन नहीं करवाया गया है, जिसके लिए बार बार अवसर प्रदान किया गया, किन्तु उसका कोई जवाब प्राप्त नहीं होने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति एवं धारा 76 (13) के अन्तर्गत कर

आरोपित करते हुए कुल रू. 1,36,000/–की मांग सृजित की, जो विधिक एवं तथ्यानुसार है। उनका कथन है कि बोगस एवं मिथ्या दस्तावेजों से माल परिवहनित किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चोरी की प्रमाणित होने से उचित कार्यवाही की है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति, कर एवं को यथावत रखा है ,जो विधिक है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। अपीलीय अधिकरी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2010 का भी अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रकरण में वाहन लदे माल की जांच एवं सत्यापन पर पाया गया कि वक्त चेकिंग वाहन मे 200 कट्टा प्लास्टिक वेक्स प्रति कट्टा 25 किलोग्रमा वजन प्रत्येक कटटा, कुल वजन 5000 किलोग्राम, जिसको राजस्थान राज्य की प्रवेश जांच चौकी पर घोषित नही किया गया है, इसलिए उक्त माल को राजस्थान में उतार बेचान किया जायेगा, माकनर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों को बोगस एवं फर्जी मानते अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति एवं 76(13) के अन्तर्गत कर आरोपित कर कुल रू. 1,36,000/– की मांग सृजित कर आदेश दिनांक 26.11.2007 पारित किया। जबकि वक्त चेकिंग प्रस्तुत दस्तावेज यह प्रदर्शित कर रहे थे कि माल राज्य के बाहर गुजरात से राज्य के बाहर पंजाब के लिए परिवहनित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी विपरीत साक्ष्य के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मानना कि माल राजस्थान में अनलोड कर राज्य कर का करापवंचन किया जायेगा, मानना प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों से प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण के तथ्यों से यह परिलक्षित होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों को किसी भी जांच से बोगस सिद्ध नही किया है और न ही उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या अथवा कूटरचित प्रमाणित नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर व शास्ति आकर्षित नहीं होती है, इसलिए कर एवं शास्ति आरोपित किया जाना विधि के प्रतिकूल है। पत्रावली पर ऐसी कोई जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मिथ्या अथवा बोगस थे। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोतिप कर एवं शास्ति की पुष्टि की है जो उचित नहीं है। प्रकरण के उक्त तथ्यों के सांगोपांड्ग विश्लेषण से स्पष्ट है कि माल का परिवहन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिए किया जा रहा था, जिससे राजस्थान राज्य को किसी प्रकार की राजस्व की हानि होना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं

किया गया है। ऐसा ही मत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स सोढी ट्रांसपोर्ट कम्पनी 10 एस टी टी 218 के प्रकरण में ऐसा ही मत प्रतिपादित किया है,जिसके आलोक में हस्तगत प्रकरण में शास्ति एव कर को विधिक नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त निर्णय का सारगर्भित अंश निम्नानुसार है :–

"The consignor is said to have been as dealer not registered with the sales tax authorities in Delhi. This by itself neither established that the consigor-firm was bogus and nor can it be presumed therfrom that the goods were intended for sale in Rajasthan without payment of tax under RST Act In any case the transpsort was able to prove that the goods left Rajasthan."

"In view of the aforesaid finding, we are of the opinion that no substantial question of law is involved in them after.The petitioner is accordingly dismissed calling no interference by the Court.."

कर निर्धारण अधिकारी को चाहिए था कि यदि उन्हें प्रस्तुत दस्तावेजों पर सन्देह था तो उनकी सारगर्भित जांच कर, पर्याप्त कारणों, विपरीत साक्ष्य और तथ्यों को एकत्र करने के पश्चात कर एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही करते, जिससे उनकी कार्यवाही को विधि का बल प्राप्त होता। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी जांच के माल का परिवहन करापवंचन की मानसिकता से किया जाना मानकर, कर एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है, जो कि विधिक दृष्टि से प्रतिकूल है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है, जो उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित मत के प्रतिकूल होने से उचित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2010 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

परिणामतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2010 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य